

प्रेस विज्ञप्ति थाना तिवारीपुर दिनांक 06-04-2021

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

महिलाओ तथा बच्चो के विरुद्ध होने वाले अपराध में तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में दिनांक 26.03.2021 को थाना तिवारीपुर में पंजीकृत मु0अ0स0- 43/2021 धारा 363,366,506 भादवि की घटना जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को परिजनो की विधिपूर्ण संरक्षता से बिना परिजनो की जानकारी व अनुमति के बहला फुसलाकर लेकर चले जाने के घटना को संज्ञान में लेते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना तिवारीपुर की टीम गठित की गयी थी। मुखबीर की सूचना पर थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त गुड्डू अवस्थी पुत्र गोबरे अवस्थी निवासी ग्राम कटेला थाना बौड़ी जनपद बहराईच को गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

गुड्डू अवस्थी पुत्र गोबरे अवस्थी निवासी ग्राम कटेला थाना बउड़ी जनपद बहराईच

अपराध जिसमें गिरफ्तारी की गयी-

मु0अ0सं0 43/2021 धारा 363,366,504,376 भादवि 5/6 पाक्सो अधि0 थाना तिवारीपुर, गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

सुरजकुण्ड टैक्सी स्टैण्ड ओवर ब्रिज के निचे दिनांक 06.04.2021 समय 10.30 बजे।

गिरफ्तारी टीम के सदस्यो का नाम:-

1. नि0 अमित कुमार दुबे (प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर)
2. उ0नि0 नागेन्द्र मणि (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
3. हे0का0 कमल किशोर मिश्रा (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
4. का0 अमलेश यादव (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)